Seventeenth Series, Vol. XXIII No.16

Monday, March 20, 2023
Phalguna 29, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Eleventh Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXIII contains Nos.11 to 20)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Jai Mukesh Shukla

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Editor

Pankaj Kumar Singh

Assistant Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXIII, Eleventh Session, 2023/1944 (Saka)
No. 16, Monday, March 20, 2023/ Phalguna 29, 1944 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 261 to 280	12-75
Unstarred Question Nos. 2991 to 3220	76-740

PAPERS LAID ON THE TABLE 741-778

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
19th Report 779

JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022
Report 779

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
Statement 780

STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS
17th and 18th Reports 780

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES
20th to 22nd Reports 781

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS
242nd to 244th Reports 782

STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE
373rd to 379th Reports 783

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE
143rd to 145th Reports 784

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE
126th to 130th Reports 785

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 5085 DATED 04.04.2022 REGARDING CLUBBING OF LOANS ALONGWITH REASONS FOR DELAY 786-800

BUSINESS OF THE HOUSE 801-802

MATTERS UNDER RULE 377 803-828

(i) Need to sanction a sports training centre in Satna Parliamentary Constituency
Shri Ganesh Singh 803

(ii) Need to provide social security benefits to beedi workers in Kaushambi Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh and also construct an ESIC Hospital in the area
Shri Vinod Kumar Sonkar 804

(iii) Need to make transportation of coal in Jharkhand in covered trucks and rail wagons compulsory
Shri Jayant Sinha 805

(iv) Need to make treatment of cancer and other serious diseases affordable for lower and middle class
Shri Dilip Saikia 806

(v) Need to construct by-pass roads at Kurukshetra Ladwa and Radaur in Haryana
Shri Nayab Singh Saini 807

(vi) Need to increase the honorarium of cooks employed in government schools
Shri Chhedi Paswan 808

(vii) Regarding doubling of Maksi-Ruthiyai Railway section in Madhya Pradesh
Shri Rodmal Nagar 809

(viii) Regarding construction of ring road in Siddharthanagar district, Uttar Pradesh
Shri Jagdambika Pal 810

(ix) Need to establish a medical college in Aurangabad, Bihar
Shri Sushil Kumar Singh 811

(x) Need to include blocks in Latur district of Maharasthra under the Aspirational Blocks Programme
Shri Sudhakar Tukaram Shrangare 812

(xi) Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution
Shri P. P. Chaudhary 813

(xii) Need to establish a National Centre of Excellence for sports persons in Jaipur, Rajasthan
Shri Ramcharan Bohra 814

(xiii) Need to check the effects of erosion on coal depot at Gourhati Ghat along Railway Goods Warehouse
Shrimati Locket Chatterjee 815

(xiv) Regarding refund of money to people who invested in Pearls Agrotech Corporation Limited
Shri Subhash Chandra Baheria 816

(xv) Regarding opening of Land Customs Station in Kuliang village, Jaintia Hills
Shri Vincent H. Pala 817

(xvi) Regarding Kishanganj - Jalalgarh Railway line project
Dr. Mohammad Jawed 818

(xvii) Need to address solid Waste Management treatment in the country
Shri K. Muraleedharan 819

(xviii) Regarding setting up of a Defence Research Centre in Dharmapuri Parliamentary Constituency
Dr. DNV Senthilkumar S. 820

(xix) Regarding effective implementation of Samagra Shiksha Scheme to tackle children drop out problem
Shrimati Aparupa Poddar 821

(xx) Regarding proper implementation of ban on single use plastic
Shri Sridhar Kotagiri 822

(xxi) Regarding pollution in Mumbai Metropolitan Region
Shri Rahul Ramesh Shewale 823

(xxii) Need to include Supaul district in the Aspirational Districts Programme
Shri Dileshwar Kamait 824

(xxiii) Regarding issues pertaining to management of Covid in Odisha
Kumari Chandrani Murmu 825

(xxiv) Need to establish a Central Agriculture University in Azamgarh, Uttar Pradesh and start operation of flights from the Manduri Airport
Shrimati Sangeeta Azad 826

(xxv) Regarding four laning of NH between Khagaria and Purnia and expeditious construction of NH No. 107 in Bihar
Choudhary Mehboob Ali Kaiser 827

(xxvi) Regarding remodeling of Guntur yard

Shri Jayadev Galla 828

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions 796

Member-wise Index to Unstarred Questions 797-803

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 804

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 805

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, March 20, 2023/ Phalguna 29, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल । प्रश्न संख्या 261

श्री दिलीप शइकीया।

… (व्यवधान)

श्री दिलीप शइकीया : महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह प्रश्न काल है। प्रश्न काल के बाद मैं आप सभी सदस्यों को पर्याप्त मौका दूँगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल के अंदर प्रश्न काल चलने दें, उसके बाद आप नोटिस दें। जो भी माननीय सदस्य नियमों/प्रक्रियाओं के तहत नोटिस देगा, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूँगा। सदन में मैं आप सभी लोगों से यह आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ, इसलिए आप प्रश्न काल चलने दें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सदन आपका है। मेरा प्रयास है कि आप सभी लोग बैठ जाइए और सदन चले। सदन आपका है। देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। इसलिए मेरा आपसे भी आग्रह है और उनसे भी आग्रह है। आप सभी लोग बैठिए। आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, प्रश्न काल के बाद उस स्थगन प्रस्ताव पर मैं नियमों के तहत व्यवस्था दूँगा। मैं प्रश्न काल के बाद व्यवस्था दूँगा। जिन भी माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव नियमों के तहत आते हैं, उन सभी माननीय सदस्यों को बोलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन आपका है। सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियमों के तहत बोलने का अधिकार है। आप बैठिए। आप भी बैठिए। प्रश्न काल चलने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नारेबाजी क्यों कर रहे हो? सदन चलने दीजिए। आप नारेबाजी क्यों कर रहे हो? माननीय सदस्य, यह सदन नारेबाजी के लिए नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह उचित नहीं है। यह सदन नारेबाजी के लिए नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। पार्लियामेंट फंक्शन करे, पार्लियामेंट चले, क्या इसके लिए आप तख्तियाँ लेकर आएंगे? क्या यह आपका पार्लियामेंट फंक्शन कराने का तरीका है? पार्लियामेंट फंक्शन करे, क्या इसके लिए आप तख्तियाँ लेकर आ रहे हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, तख्तियाँ नीचे कीजिए। पार्लियामेंट फंक्शन करे, इसके लिए कोई तख्तियाँ लेकर नहीं आता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं? क्या आप प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम आपको एलाऊ करेंगे, निश्चित रूप से एलाऊ करेंगे। प्रश्न काल के बाद नियमों के तहत अगर मैं स्थगन प्रस्ताव को खारिज करूं, तो उसके बाद आपको बोलने का अधिकार है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सदन तो सबका है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप आएं, बैठें, चर्चा करें। चैम्बर में आएं, चर्चा करें। सत्ता पक्ष भी आए, प्रतिपक्ष भी आए। रास्ता निकालेंगे, सदन चलाएंगे। आपके विशेष मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मेरा आग्रह है कि अगर आप सदन चलने देंगे तो मैं सदन चलाऊंगा।

… (व्यवधान)

---

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 261 to 280
Unstarred Question Nos. 2991 to 3220)
(Page No. 12 to 740)

माननीय अध्यक्ष: अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.07 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

---

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

14.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आईटम नंबर-1 – श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री राव इंद्रजीत सिंह जी की ओर से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ : -

(1) निधि (संशोधन) नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 35(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कंपनी (पंजीकरण करने के लिए प्राधिकृत) संशोधन नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 39(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2023, जो 21 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 41(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2023, जो 21 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 42(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) कंपनी (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) संशोधन नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 36(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरण-पुस्तिका और आबंटन) संशोधन नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 37(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 38(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 40(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) संशोधन नियम, 2023, जो 23 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 43(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2023, जो 23 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 44(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) संशोधन नियम, 2023, जो 23 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 45(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) कंपनी (प्रकीर्ण) संशोधन नियम, 2023, जो 24 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 46(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9129/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री श्रीपाद येसो नाईक जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9130/17/23]

(3) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 6 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 445(अ) जो 30 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नौचालन के लिए सामान्य सहायता के रूप में नौचालन के लिए सहायक उपकरणों का विनिर्धारिण अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 711(अ) जो 15 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि

के लिए उसमें उल्लिखित व्यक्तियों से मिल कर बनी केन्द्रीय सलाहकार समिति की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 9131/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9132/17/23]

(3) (एक) इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9133/17/23]

(5) (एक) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9134/17/23]

(7) (एक) वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9135/17/23]

(9) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9136/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (GEN. (RETD.) V. K. SINGH): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the AI Engineering Services Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the AI Engineering Services Limited, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the AI Airport Services Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the AI Airport Services Limited, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Alliance Air Aviation Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Alliance Air Aviation Limited, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9137/17/23]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) विद्युत (संशोधन) नियम, 2022, जो 29 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 911(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9138/17/23]

(2) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना) संशोधन नियम, 2023, जो 27 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 57(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9139/17/23]

(3) जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना) नियम, 2023,जो 27 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 58(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9140/17/23]

(4) विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) संशोधन नियम, 2023,जो 27 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 59(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9141/17/23]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.124(अ) जो 23 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जलयानों और अन्य तैरती सरंचनाओं पर ब्रेकिंग अप के लिए 31 मार्च, 2025 तक आधारभूत सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.154(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं. 104/94-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.169(अ) जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 मई, 2022 की अधिसूचना सं. 30/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.170(अ) जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9142/17/23]

(2) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.102(अ) जो 15 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.103(अ) जो 15 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.166(अ) जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.167(अ) जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.168(अ) जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 10/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि डीजल के निर्यात पर सड़क और अवसंरचना उपकर को कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9143/17/23]

(3) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.153(अ), जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-प्रतिकर उपकर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49वीं बैठक में यथाअनुशंसित परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9144/17/23]

(4) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.141(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 49वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2023-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण, बोर्ड अथवा निकाय, जिनमें प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी शामिल है, द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं जीएसटी से छूट प्राप्त होंगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.142(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 49वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 13/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी के संदाय के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यथाउपलब्ध छूट का विस्तार न्यायालयों और अधिकरणों को उनके

वाणिज्यिक क्रियाकलापों जैसे अचल सम्पति की किराएदारी के लिए किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.147(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49वीं बैठक में यथाअनुशंसित कतिपय माल की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.150(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49वीं बैठक में यथाअनुशंसित परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9145/17/23]

(5) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.143(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 49वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 09/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण, बोर्ड अथवा निकाय, जिसमें प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी शामिल है, द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं जीएसटी से छूट प्राप्त होंगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.144(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 49वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 13/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी के संदाय के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यथाउपलब्ध छूट का विस्तार न्यायालयों और अधिकरणों को उनके वाणिज्यिक क्रियाकलापों जैसे अचल सम्पति की किराएदारी के लिए किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.148(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49वीं बैठक में यथाअनुशंसित कतिपय माल की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.151(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49वीं बैठक में यथाअनुशंसित परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9146/17/23]

(6) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.145(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए

थे तथा जिनके द्वारा 49वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण, बोर्ड अथवा निकाय, जिसमें प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी शामिल है, द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं जीएसटी से छूट प्राप्त होंगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.146(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 49वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 13/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी के संदाय के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यथाउपलब्ध छूट का विस्तार न्यायालयों और अधिकरणों को उनके वाणिज्यिक क्रियाकलापों जैसे अचल सम्पति की किराएदारी के लिए किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.149(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49वीं बैठक में यथाअनुशंसित कतिपय माल की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.152(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49वीं बैठक में यथाअनुशंसित परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9147/17/23]

(7) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ (भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार करार के अंतर्गत माल की उत्पत्ति का निर्धारण) नियम, 2022, जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 897 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9148/17/23]

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151ख के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 891(अ) जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 467(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9149/17/23]

(9) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 2 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/119 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी क्रय नीति)

(संशोधन) विनियम, 2023 जो 7 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/120 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शुल्क का भुगतान तथा भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 7 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/121 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/122 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भू-संपदा निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/123 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरीज़ और प्रतिभागी) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/125 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/126 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/116 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9150/17/23]

(10) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों के नियंत्रण में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/115 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9151/17/23]

(11) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 12 अगस्त, 2022 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/93 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 28 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/124 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9152/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मेरे सहयोगी प्रो. एस. पी. सिंह बघेल जी की ओर से, मैं विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

[Placed in Library, See No. LT 9153/17/23]

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) (एक) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9154/17/23]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (ऑटोमोटिव ईंधन के वितरण के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) संशोधन विनियम, 2022,जो 14 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/टेक/5-आरओ(1)/2022 (पी-3803) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2022,जो 9 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 16(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9155/17/23]

(2) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023, जो 13 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 93(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9156/17/23]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा, नागालैंड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, नागालैंड के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9157/17/23]

(3) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9158/17/23]

(5) (एक) समग्र शिक्षा अभियान, मध्य प्रदेश के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा अभियान, मध्य प्रदेश के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9159/17/23]

(7) (एक) समग्र शिक्षा अभियान, पंजाब के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा अभियान, पंजाब के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9160/17/23]

(9) (एक) समग्र शिक्षा, असम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, असम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9161/17/23]

(11) (एक) समग्र शिक्षा, त्रिपुरा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, त्रिपुरा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9162/17/23]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली केवर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9166/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मेरे सहयोगी श्री कौशल किशोर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लद्दाख भू-संपदा (विनियमन और विकास) (विक्रय के लिए करार) नियम, 2023 जो 8 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 86(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9163/17/23]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9164/17/23]

(4) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए मेट्रो रेल चालू किया जाना (संशोधन) नियम, 2023,जो 8 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 87(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9165/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मेरे सहयोगी श्री भगवंत खुबा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9167/17/23]

(3) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9168/17/23]

(5) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 9169/17/23]

(6) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9170/17/23]

(8) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9171/17/23]

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) कर्णाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्णाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 9172/17/23]

(ख) (एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 9173/17/23]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता:-

(1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2018-2019 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2018-2019 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9174/17/23]

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9175/17/23]

(5) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9176/17/23]

(7) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9177/17/23]

(9) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9178/17/23]

(11) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9179/17/23]

(13) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9180/17/23]

(15) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9181/17/23]

(17) (एक) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9182/17/23]

(19) (एक) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9183/17/23]

(21) (एक) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9184/17/23]

(23) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9185/17/23]

(25) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9186/17/23]

(27) (एक) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9187/17/23]

(29) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9188/17/23]

(31) (एक) केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक

प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9189/17/23]

(33) (एक) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कांगड़ा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कांगड़ा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कांगड़ा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9190/17/23]

(35) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजॉल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9191/17/23]

(37) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9192/17/23]

(39) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9193/17/23]

(41) (एक) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9194/17/23]

(43) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9195/17/23]

(45) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9196/17/23]

(47) (एक) राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9197/17/23]

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Small Industries Development Bank of India (Access to Records) Regulations, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. RIMV-148/Regulations dated 23rd February, 2023, under sub-section (3) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989.

[Placed in Library, See No. LT 9198/17/23]

(2) A copy of the National Housing Bank's 'Report on Trend and Progress of Housing in India 2022' (Hindi and English versions) for the period from July 2021 to June, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 9199/17/23]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006:-

(i) The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) First Amendment Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. Std/Notifications/35.1/2021 in Gazette of India

dated 11th January, 2023.

(ii) The Food Safety and Standards Authority of India (Financial) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. 11012/038/2016-2017/FSSAI/F&A in Gazette of India dated 23rd January, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 9200/17/23]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health, Tezpur, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health, Tezpur, for the year 2021-2022.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 9201/17/23]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bengaluru, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bengaluru, for the year 2021-2022.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 9202/17/23]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, for the year 2021-2022.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, for the year 2021-2022.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 9203/17/23]

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (University of Kashmir), Srinagar, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (University of Kashmir), Srinagar, for the year 2021-2022.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

[Placed in Library, See No. LT 9204/17/23]

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (The Maharaja Sayajirao University of Baroda), Vadodara, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (The Maharaja Sayajirao University of Baroda), Vadodara, for the year 2021-2022.

(11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

[Placed in Library, See No. LT 9205/17/23]

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Guwahati University), Guwahati, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Guwahati University), Guwahati, for the year 2021-2022.

(13) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (12) above.

[Placed in Library, See No. LT 9206/17/23]

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, for the year 2021-2022.

(15) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (14) above.

[Placed in Library, See No. LT 9207/17/23]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI (ER. BISHWESWAR TUDU): Sir, I beg to lay on the Table a copy of Output-Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 9208/17/23]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Morarji Desai National institute of Yoga, New Delhi, for the year

2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Morarji Desai National institute of Yoga, New Delhi, for the year 2021-2022.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9209/17/23]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Yoga & Naturopathy, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Yoga & Naturopathy, New Delhi, for the year 2021-2022.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9210/17/23]

… (*Interruptions*)

14.05 hrs

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

19th Report

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): माननीय सभापति जी, मैं 'वर्ष 2020 के प्रतिवेदन संख्यांक 18 के सीएण्डएजी लेखापरीक्षा पैरा सं. 5.1 के आधार पर इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से संबंधित सड़क परियोजनाओं को दिए गए ऋणों की समीक्षा' विषय के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) का उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

… (व्यवधान)

14. 05½ hrs

JOINT COMMITTEE ON THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2022

Report

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): माननीय सभापति जी, मैं जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं।

… (व्यवधान)

14. 06 hrs

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

Statement

श्री छेदी पासवान (सासाराम): माननीय सभापति जी, मैं 'नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन' विषय के बारे में गृह मंत्रालय से संबंधित पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

14. 06½ hrs

STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS

17th and 18th Reports

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): माननीय सभापति जी, मैं आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन का मूल्यांकनविषय संबंधी ' सत्रहवां प्रतिवेदन(सत्रहवीं लोक सभा)।

(2) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों'(2023-24)' संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

… (व्यवधान)

14. 07 hrs

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES

20th to 22nd Reports

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): माननीय सभापति जी, मैं जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की अनुदानों की मांगों'(2023-24)' संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

(2) जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की अनुदानों की ' मांगों(2023-24)' संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

(3) 'भू-जल: एक बहुमूल्य किंतु घटता संसाधन विषय पर '22वां प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

14. 08 hrs

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS
242nd to 244th REPORTS

SHRI VISHNU DAYAL RAM (PALAMU): Sir, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Home Affairs:-

(1) 242nd Report on 'Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Home Affairs'.

(2) 243rd Report on 'Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Development of North Eastern Region'.

(3) 244th Report on Action Taken by Government on the Recommendations/Observations contained in the Two Hundred Thirty-seventh Report on 'Police - Training, Modernisation and Reforms'

---

14. 09 hrs

STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

373rd to 379th Reports

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): माननीय सभापति जी, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 373वां प्रतिवेदन।

(2) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 374वां प्रतिवेदन।

(3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 375वां प्रतिवेदन।

(4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 376वां प्रतिवेदन।

(5) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 377वां प्रतिवेदन।

(6) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 378वां प्रतिवेदन।

(7) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 379वां प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

14.10 hrs

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE

143rd to 145th Reports

SHRI KRISHNAPALSINGH YADAV (GUNA): Sir, with your kind permission, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Health and Family Welfare:-

(1) 143rd Report of the Committee on Demands for Grants 2023-24 (Demand No. 46) of the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare.

(2) 144th Report of the Committee on Demands for Grants 2023-24 (Demand No. 47) of the Department of Health Research, Ministry of Health & Family Welfare.

(3) 145th Report of the Committee on Demands for Grants 2023-24 (Demand No. 4) of the Ministry of Ayush.

… (*Interruptions*)

14.11 hrs

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE

126th to 130th Reports

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): Sir, with your permission, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice :-

(1) 126th Report on Demands for Grants (2023-24) of the Department of Personnel & Training.

(2) 127th Report on Demands for Grants (2023-24) of the Department of Administrative Reforms & Public Grievances, and Department of Pensions & Pensioners Welfare.

(3) 128th Report on Demands for Grants (2023-24) of the Department of Justice.

(4) 129th Report on Demands for Grants (2023-24) of the Department of Legal Affairs.

(5) 130th Report on Demands for Grants (2023-24) of the Legislative Department.

… (*Interruptions*)

14.12 hrs

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 5085 DATED 04.04.2022 REGARDING CLUBBING OF LOANS ALONGWITH REASONS FOR DELAY*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay a Statement (i) correcting the reply given on 04.04.2022 to Unstarred Question No. 5085 asked by Shri Manickam Tagore B., MP regarding 'Clubbing of Loans' and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply.

… (Interruptions)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9128/17/23

लोक सभा के पटल पर रखे जाने के लिए
Papers to be laid on the table of Lok Sabha/Rajya Sabha
अधिप्रमाणित//AUTHENTICATED
(डा. भागवत कराड)
(Dr. BHAGWAT KARAD)
वित्त राज्य मंत्री
Authenticated
Minister of State in the Ministry of Finance

"Paper to be laid on the Table of Lok Sabha"

(Dr. Bhagwat Karad)
Minister of State in the Ministry of Finance

STATEMENT TO BE LAID BY THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE CORRECTING THE ANSWER TO PART (b) and (c) OF THE UNSTARRED QUESTION NO.5085 GIVEN IN THE LOK SABHA ON 4.4.2022 REGARDING CLUBBING OF LOANS

I beg to correct the part (b) and (c) given in the answer to Unstarred Question No.5085 in the Lok Sabha on the 4.4.2022 regarding "Clubbing of Loans" as follows

Part (s) of the Question answered	For	Read
(b) whether the SBI Suraksha loan amount sanctioned with SBI home loan amount is unsecured loan, if so, the details thereof;	(b) As informed by State Bank of India (SBI), SBI Suraksha loan is unsecured loan w.e.f. February, 2018. SBI has further informed that extension of mortgage on the residential property financed by Bank is not mandatory to cover Suraksha Loan. However, SBI has intimated that a suitable clause of general lien over the property has been incorporated in agreement for Suraksha loan.	(b) As informed by State Bank of India (SBI), SBI Suraksha loan is unsecured loan w.e.f. April, 2018. SBI has further informed that extension of mortgage on the residential property financed by Bank is not mandatory to cover Suraksha Loan. However, SBI has intimated that a suitable clause of general lien over the property has been incorporated in agreement for Suraksha loan.
(c) whether the amount sanctioned under SBI Suraksha loan product is covered by equitable mortgage or by extension of equitable mortgage, if so, the details thereof;	(c) As per information received from State Bank of India, the loans sanctioned under SBI Suraksha loan products from February, 2018 are not covered by equitable mortgage. SBI has further informed that the	(c) As informed by State Bank of India, the amount sanctioned under SBI Suraksha loan product is not mandatory to be covered by equitable mortgage (EM) or by extension of equitable mortgage as per instructions of May, 2012, but was optional

	Suraksha loans sanctioned prior to February, 2018 were covered under extension of mortgage of Housing Loan property.	and the Suraksha loan account was continued to be linked to Home Loan account until the instructions of April, 2018. As per SBI circular of April, 2018, linkage with the underlying Home Loan was withdrawn by which the extension of equitable mortgage for the Suraksha loan was completely withdrawn.

The inconvenience caused is regretted.

लोक सभा के पटल पर रखे जाने के लिए
Papers to be laid on the table of Lok Sabha/Rajya Sabha
अधिप्रमाणित/AUTHENTICATED
(डा. भागवत कराड)
(Dr. BHAGWAT KARAD)
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
Minister of State in the Ministry of Finance
Authenticated

"Paper to be laid on the Table of Lok Sabha"

(Dr. Bhagwat Karad)
Minister of State in the Ministry of Finance

STATEMENT GIVING REASONS FOR DELAY IN MAKING CORRECTION STATEMENT IN RESPECT OF LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO.5085 DATED 4.4.2022 ASKED BY SHRI MANICKAM TAGORE B REGARDING "CLUBBING OF LOANS"

Lok Sabha Unstarred Question No.5085 was answered on 4th April, 2022. The reply was based on the information provided by State Bank of India (SBI) as the Question was related to loans given by State Bank of India. Subsequently, a complaint was received by Debt Recovery Tribunal (DRT) section of Department of Financial Services (DFS) on CPGRAM Portal on 29.6.2022 highlighting the inaccuracy in the reply given to Lok Sabha Unstarred Question No.5085 replied on 4.4.2022. Since the grievance pertained to loan scheme of SBI, the grievance was forwarded on 30.6.2022 to SBI for looking into the grievance of the complainant. SBI after examination of the grievance posted a response on the CPGRAM Portal on 14.7.2022. From the reply posted on the CPGRAM Portal, it was found that SBI had made an error while forwarding reply to the part (b) and part (c) of the question under reference to this Department. According to SBI, the date from which SBI Suraksha Loan was unsecured loan should have been April, 2018 instead of February, 2018 in the reply. DFS subsequently wrote to SBI on 28.7.2022 requesting a detailed reply clarifying the position of SBI with regard to inaccuracy pointed out by the complainant on CPGRAM Portal. A detailed reply from SBI was received in this matter on 11.8.2022.

In view of the forgoing, the Notice for correcting the reply could not be sent within a week after the date of reply. The Statement to correct the part (b) and (c) of the reply to Unstarred Question No.5085 answered on 4.4.2022 is being laid on the table of Lok Sabha during the current session.

CORRECTED REPLY

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 5085
ANSWERED ON Monday, April, 4, 2022/Chaitra 14, 1944 (Saka)

Clubbing of Loans

5085. SHRI MANICKAM TAGORE B:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether clubbing of two secured loans is permissible under SARFAESI Act, 2002, if so, the conditions under which it is permissible;

(b) whether the SBI Suraksha loan amount sanctioned with SBI home loan amount is unsecured loan, if so, the details thereof;

(c) whether the amount sanctioned under SBI Suraksha loan product is covered by equitable mortgage or by extension of equitable mortgage, if so, the details thereof;

(d) whether SBI invokes SARFAESI Act, 2002 when SBI home loan account is not classified as non-performing asset, but associated SBI Suraksha loan count is classified as NPA, if so, the details thereof; and

(e) whether SBI invokes SARFAESI Act, 2002 when SBI home loan account is classified as non-performing asset, but associated SBI Suraksha loan count is not classified as NPA, if so, the details thereof?

ANSWER

The Minister of State in the Ministry of Finance
(Dr. Bhagwat Karad)

(a) As per para 4.2.7.1 of RBI Master Circular - Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances dated 1.10.2021, all the facilities granted by a bank to a borrower and investment in all the securities issued by the borrower will have to be treated as Non-Performing Asset (NPA)/Non-Performing Investment (NPI) and not the particular facility/investment or part thereof which has become irregular.

The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002, interalia contains the provisions for enforcement of security interest once the account is classified as NPA by the Secured Creditor.

(b) As informed by State Bank of India (SBI), SBI Suraksha loan is unsecured loan w.e.f. April, 2018. SBI has further informed that extension of mortgage on the residential property financed by Bank is not mandatory to cover Suraksha Loan. However, SBI has intimated that a suitable clause of general lien over the property has been incorporated in agreement for Suraksha loan.

(c) As informed by State Bank of India, the amount sanctioned under SBI Suraksha loan product was not mandatory to be covered by equitable mortgage or by extension of Equitable Mortgage (EM) as per instructions of May, 2012, but was optional and the Suraksha loan account was continued to be linked to Home Loan account until the instructions of April, 2018. As per SBI circular of April, 2018, linkage with the underlying Home Loan was withdrawn by which the extension of equitable mortgage for the Suraksha loan was completely withdrawn.

(d) State Bank of India has informed that all accounts under the same Customer Information File (CIF) are classified as NPA, if any of the individual accounts becomes NPA and SARFAESI action is invoked in the account which has security.

(e) State Bank of India has intimated that when the SBI Home loan account is classified as non-performing asset, all loan accounts under same Customer Information File (CIF) are classified as Non-Performing Asset as per RBI guidelines. However, SARFAESI Action is initiated only in account which has security, as per the reply received from SBI.

****

ORIGINAL REPLY

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 5085
ANSWERED ON Monday, April, 4, 2022/Chaitra 14, 1944 (Saka)

Clubbing of Loans

5085. SHRI MANICKAM TAGORE B:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether clubbing of two secured loans is permissible under SARFAESI Act, 2002, if so, the conditions under which it is permissible;

(b) whether the SBI Suraksha loan amount sanctioned with SBI home loan amount is unsecured loan, if so, the details thereof;

(c) whether the amount sanctioned under SBI Suraksha loan product is covered by equitable mortgage or by extension of equitable mortgage, if so, the details thereof;

(d) whether SBI invokes SARFAESI Act, 2002 when SBI home loan account is not classified as non-performing asset, but associated SBI Suraksha loan count is classified as NPA, if so, the details thereof; and

(e) whether SBI invokes SARFAESI Act, 2002 when SBI home loan account is classified as non-performing asset, but associated SBI Suraksha loan count is not classified as NPA, if so, the details thereof?

ANSWER

The Minister of State in the Ministry of Finance
(Dr. Bhagwat Karad)

(a) As per para 4.2.7.1 of RBI Master Circular - Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances dated 1.10.2021, all the facilities granted by a bank to a borrower and investment in all the securities issued by the borrower will have to be treated as Non-Performing Asset (NPA)/Non-Performing Investment (NPI) and not the particular facility/investment or part thereof which has become irregular.

The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002, interalia contains the provisions for enforcement of security interest once the account is classified as NPA by the Secured Creditor.

(b) As informed by State Bank of India (SBI), SBI Suraksha loan is unsecured loan w.e.f. February, 2018. SBI has further informed that extension of mortgage on the

residential property financed by Bank is not mandatory to cover Suraksha Loan. However, SBI has intimated that a suitable clause of general lien over the property has been incorporated in agreement for Suraksha loan.

(c) As per information received from State Bank of India, the loans sanctioned under SBI Suraksha loan products from February, 2018 are not covered by equitable mortgage. SBI has further informed that the Suraksha loans sanctioned prior to February, 2018 were covered under extension of mortgage of Housing Loan property.

(d) State Bank of India has informed that all accounts under the same Customer Information File (CIF) are classified as NPA, if any of the individual accounts becomes NPA and SARFAESI action is invoked in the account which has security.

(e) State Bank of India has intimated that when the SBI Home loan account is classified as non-performing asset, all loan accounts under same Customer Information File (CIF) are classified as Non-Performing Asset as per RBI guidelines. However, SARFAESI Action is initiated only in account which has security, as per the reply received from SBI.

****

लोक सभा के पटल पर रखे जाने के लिए
Papers to be laid on the table of Lok Sabha/Rajya Sabha
सत्यापित/ATTESTED

(डॉ. भागवत कराड)
(Dr. BHAGWAT KARAD)
वित्त मंत्रालय
Minister of State in the Ministry of Finance

"लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला दस्तावेज"

अभिप्रमाणित

(डॉ. भागवत कराड)
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

ऋणों के एकीकरण के संबंध में लोक सभा में दिनांक 4.4.2022 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5085 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर की त्रुटि को ठीक करते हुए वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा रखा जाने वाला विवरण

मैं दिनांक 4.4.2022 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 5085 के उत्तर में दिए गए भाग (बी) और (सी) को "ऋणों का एकीकरण " के संबंध में निम्नानुसार सही करने के लिए विनती करता हूं

प्रश्न	दिए गए उत्तर के स्थान पर	संशोधित उत्तर पढ़ा जाए
(ख) क्या एसबीआई आवास ऋण की राशि के साथ एसबीआई सुरक्षा ऋण की राशि की संस्वीकृति असुरक्षित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;	**(ख):** भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एसबीआई सुरक्षा ऋण फरवरी, 2018 से अप्रतिभूत ऋण है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि बैंक द्वारा वित्तपोषित आवासीय संपत्ति पर बंधक के विस्तार में सुरक्षा ऋण को कवर करना अनिवार्य नहीं है। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि सुरक्षा ऋण के करार में संपत्ति पर साधारण धारणाधिकार के उपयुक्त खंड को शामिल किया गया है।	(ख) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एसबीआई सुरक्षा ऋण अप्रैल, 2018 से अप्रतिभूत ऋण है। एसबीआई ने यह भी सूचित किया है कि सुरक्षा ऋण को कवर करने के लिए बैंक द्वारा वित्तपोषित आवासीय संपत्ति पर बंधक का विस्तार अनिवार्य नहीं है। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि सुरक्षा ऋण के करार में संपत्ति पर सामान्य ग्रहणाधिकार के उपयुक्त खंड को शामिल किया गया है।
(ग) क्या एसबीआई सुरक्षा ऋण उत्पाद के अंतर्गत संस्वीकृत राशि सामायिक बंधक या सामायिक	**(ग):** भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, फरवरी, 2018 से एसबीआई सुरक्षा ऋण उत्पाद के	*(ग) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मई, 2012 के अनुदेशों के अनुसार एसबीआई*

बंधक के विस्तार के अंतर्गत की गई है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;	अंतर्गत स्वीकृत किए गए ऋण यथार्थ बंधक द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि फरवरी, 2018 से पहले स्वीकृत सुरक्षा ऋण को आवासीय ऋण संपत्ति के बंधक का विस्तार करके कवर किया गया था।	*सुरक्षा ऋण उत्पाद के अंतर्गत स्वीकृत राशि को न्यायसंगत बंधक या न्यायसंगत बंधक (ईएम) के विस्तार द्वारा कवर किया जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह वैकल्पिक था और अप्रैल, 2018 के अनुदेशों तक सुरक्षा ऋण खाते को गृह ऋण खाते से जोड़ा जाना जारी रखा गया था।* *एसबीआई के अप्रैल, 2018 के परिपत्र के अनुसार, अंतर्निहित आवास ऋण के साथ लिंकेज को वापस ले लिया गया था, जिससे सुरक्षा ऋण संबंधी न्यायसंगत बंधक के विस्तार को पूर्णत: वापस ले लिया गया था।*

त्रुटि के लिए खेद है।

लोक सभा के पटल पर रखे जाने के लिए
Papers to be laid on the table of Lok Sabha/Rajya Sabha
अधिप्रमाणित/AUTHENTICATED
(डॉ. भागवत कराड)
(Dr. BHAGWAT KARAD)
वित्त मंत्रालय
Minister of State in the Ministry of Finance

"लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला दस्तावेज़"

अभिप्रमाणित

(डॉ. भागवत कराड)
वित्त राज्य मंत्री

"ऋणों का एकीकरण" के संबंध में श्री मणिक्कम टैगोर बी द्वारा दिनांक 4.4.2022 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5085 के संबंध में सुधार विवरण तैयार करने में देरी का कारण स्पष्ट करने वाला विवरण।

लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5085 का उत्तर 4 अप्रैल, 2022 को दिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से प्राप्त सूचना के आधार पर उत्तर दिया गया था क्योंकि प्रश्न भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए गए ऋणों से संबंधित था। बाद में, दिनांक 29.6.2022 को वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) अनुभाग को सीपीग्राम पोर्टल के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें दिनांक 4.4.2022 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 5085 के संबंध में दिए गए उत्तर में अशुद्धि पर प्रकाश डाला गया था। चूंकि शिकायत एसबीआई की ऋण योजना से संबंधित थी, इसलिए शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए शिकायत को दिनांक 30.6.2022 को एसबीआई को अग्रेषित कर दिया गया था। एसबीआई ने शिकायत की जांच के पश्चात्, दिनांक 14.7.2022 को सीपीग्राम पोर्टल पर अपना प्रत्युत्तर दिया था। सीपीग्राम पोर्टल पर दिए गए उत्तर से यह पता चला था कि एसबीआई ने इस विभाग के संदर्भ में इस प्रश्न के भाग (ख) और भाग (ग) का उत्तर अग्रेषित करते समय एक चूक की थी। एसबीआई के अनुसार, उत्तर में जिस तिथि से एसबीआई सुरक्षा ऋण अप्रतिभूत ऋण बना वह तिथि फरवरी, 2018 के स्थान पर अप्रैल, 2018 होनी चाहिए थी। बाद में वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने दिनांक 28.7.2022 को एसबीआई को पत्र लिखकर शिकायतकर्ता द्वारा सीपीग्राम पोर्टल पर बताई गई त्रुटि के संबंध में एसबीआई की स्थिति स्पष्ट करते हुए विस्तृत उत्तर देने का अनुरोध किया था। इस मामले में एसबीआई से विस्तृत उत्तर दिनांक 11.8.2022 को प्राप्त हुआ था।

पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, उत्तर में सुधार किए जाने की सूचना उत्तर दिए जाने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर नहीं भेजी जा सकी। दिनांक 4.4.2022 को दिए गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 5085 के उत्तर के भाग (ख) और भाग (ग) में सुधार किए जाने के संबंध में एक विवरण वर्तमान सत्र के दौरान लोक सभा के पटल पर रखा जा रहा है।

सही उत्तर

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5085

जिसका उत्तर 04 अप्रैल, 2022/14 चैत्र, 1944 (शक) को दिया गया

ऋणों का एकीकरण

5085. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'सरफेसी' अधिनियम, 2002 के तहत दो सुरक्षित ऋणों के एकीकरण की अनुमति है और यदि हाँ, तो किन शर्तों के अंतर्गत इसकी अनुमति है;

(ख) क्या एसबीआई आवास ऋण की राशि के साथ एसबीआई सुरक्षा ऋण की राशि की संस्वीकृति असुरक्षित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एसबीआई सुरक्षा ऋण उत्पाद के अंतर्गत संस्वीकृत राशि सामायिक बंधक या सामायिक बंधक के विस्तार के अंतर्गत की गई है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एसबीआई 'सरफेसी' अधिनियम, 2002 को लागू करता है जब एसबीआई आवास ऋण गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं हो, लेकिन संबद्ध एसबीआई सुरक्षा ऋण खाते को गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरफेसी अधिनियम, 2002 लागू करता है, जब एसबीआई आवास ऋण खाते को गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करता हो, लेकिन संबद्ध एसबीआई सुरक्षा ऋण खाते को गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 1.10.2021 के मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.7.1 के अनुसार, बैंक द्वारा किसी उधारकर्ता को दी गई सभी सुविधाएं और उस उधारकर्ता द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को अनर्जक आस्ति (एनपीए)/अनर्जक निवेश (एनपीआई) माना जाएगा, न कि किसी सुविधा विशेष/निवेश या उसके किसी भाग को, जो अनियमित हो गया हो।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002, में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिभूत लेनदार द्वारा खाते को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद प्रतिभूति हित के प्रवर्तन का प्रावधान शामिल हैं।

(ख): भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एसबीआई सुरक्षा ऋण अप्रैल, 2018 से अप्रतिभूत ऋण है। एसबीआई ने यह भी सूचित किया है कि सुरक्षा ऋण को कवर करने के लिए बैंक द्वारा वित्तपोषित आवासीय संपत्ति पर बंधक का विस्तार अनिवार्य नहीं है। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि सुरक्षा ऋण के करार में संपत्ति पर सामान्य ग्रहणाधिकार के उपयुक्त खंड को शामिल किया गया है।

(ग): भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, मई, 2012 के अनुदेशों के अनुसार एसबीआई सुरक्षा ऋण उत्पाद के अंतर्गत स्वीकृत राशि को न्यायसंगत बंधक या न्यायसंगत बंधक (ईएम) के विस्तार द्वारा कवर किया जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह वैकल्पिक था और अप्रैल, 2018 के अनुदेशों तक सुरक्षा ऋण खाते को गृह ऋण खाते से जोड़ा जाना जारी रखा गया था। एसबीआई के अप्रैल, 2018 के परिपत्र के अनुसार, अंतर्निहित आवास ऋण के साथ लिंकेज को वापस ले लिया गया था, जिससे सुरक्षा ऋण के लिए न्यायसंगत बंधक के विस्तार को पूर्णत: वापस ले लिया गया था।

(घ): भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि व्यक्तिगत खातों में से किसी खाते के अनर्जक आस्ति (एनपीए) हो जाने पर एक ही ग्राहक सूचना फाइल (सीआईएफ) के अंतर्गत आने वाले सभी खातों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिभूत खातों में सरफासी कार्रवाई की जाती है।

(ङ): भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि जब कोई एसबीआई आवास ऋण खाता अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशानुसार एक ही ग्राहक सूचना फाइल (सीआईएफ) के अंतर्गत आने वाले सभी ऋण खातों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि, भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त उत्तर के अनुसार सरफासी कार्रवाई केवल प्रतिभूत खातों में ही की जाती है।

*****

मूल उत्तर

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5085

जिसका उत्तर 04 अप्रैल, 2022/14 चैत्र, 1944 (शक) को दिया गया

ऋणों का एकीकरण

5085. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'सरफेसी' अधिनियम, 2002 के तहत दो सुरक्षित ऋणों के एकीकरण की अनुमति है और यदि हाँ, तो किन शर्तों के अंतर्गत इसकी अनुमति है;

(ख) क्या एसबीआई आवास ऋण की राशि के साथ एसबीआई सुरक्षा ऋण की राशि की संस्वीकृति असुरक्षित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एसबीआई सुरक्षा ऋण उत्पाद के अंतर्गत संस्वीकृत राशि सामायिक बंधक या सामायिक बंधक के विस्तार के अंतर्गत की गई है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एसबीआई 'सरफेसी' अधिनियम, 2002 को लागू करता है जब एसबीआई आवास ऋण गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं हो, लेकिन संबद्ध एसबीआई सुरक्षा ऋण खाते को गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरफेसी अधिनियम, 2002 लागू करता है, जब एसबीआई आवास ऋण खाते को गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करता हो, लेकिन संबद्ध एसबीआई सुरक्षा ऋण खाते को गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 1.10.2021 के मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.7.1 के अनुसार, बैंक द्वारा किसी उधारकर्ता को दी गई सभी सुविधाएं और उस उधारकर्ता द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को अनर्जक आस्ति (एनपीए)/अनर्जक निवेश (एनपीआई) माना जाएगा, न कि किसी सुविधा विशेष/निवेश या उसके किसी भाग को, जो अनियमित हो गया हो।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002, में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिभूत लेनदार द्वारा खाते को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद प्रतिभूति हित के प्रवर्तन का प्रावधान शामिल हैं।

(ख): भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एसबीआई सुरक्षा ऋण फरवरी, 2018 से अप्रतिभूत ऋण है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि बैंक द्वारा वित्तपोषित आवासीय संपत्ति पर बंधक के विस्तार में सुरक्षा ऋण को कवर करना अनिवार्य नहीं है। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि सुरक्षा ऋण के करार में संपत्ति पर साधारण धारणाधिकार के उपयुक्त खंड को शामिल किया गया है।

(ग): भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, फरवरी, 2018 से एसबीआई सुरक्षा ऋण उत्पाद के अंतर्गत स्वीकृत किए गए ऋण यथार्थ बंधक द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि फरवरी, 2018 से पहले स्वीकृत सुरक्षा ऋण को आवासीय ऋण संपत्ति के बंधक का विस्तार करके कवर किया गया था।

(घ): भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि व्यक्तिगत खातों में से किसी खाते के अनर्जक आस्ति (एनपीए) हो जाने पर एक ही ग्राहक सूचना फाइल (सीआईएफ) के अंतर्गत आने वाले सभी खातों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और प्रतिभूत खातों में सरफासी कार्रवाई की जाती है।

(ङ): भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि जब कोई एसबीआई आवास ऋण खाता अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशानुसार एक ही ग्राहक सूचना फाइल (सीआईएफ) के अंतर्गत आने वाले सभी ऋण खातों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि, भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त उत्तर के अनुसार सरफासी कार्रवाई केवल प्रतिभूत खातों में ही की जाती है।

*****

14.13 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 20th of March, 2023 will consist of:

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's order paper:- [it contains (i) General Discussion on Budget of Union Territory of Jammu & Kashmir for 2023-24 (ii) Discussion and Voting of Demands for Grants for the Union Territory of Jammu & Kashmir for the financial year 2023-24 from 1st April 2023 to 31st March 2024 and introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill (iii) Discussion and Voting on Supplementary Demands for Grants for the Union Territory of Jammu & Kashmir for financial year 2022-23 from 1st April 2022 to 31st March 2023 and introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill (iv) Discussion and Voting of Second and Final Batch of Supplementary Demands for Grants for 2022-23 and introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill, and (v) Discussion and voting on Demands for Grants for 2023-24 under the control of the Ministry of Railways]
2. Discussion and Voting on Demands for Grants for 2023-24 of the following Ministries:-

(i) (a) Rural Development (b) Panchayati Raj [to be taken up together]

(ii) Tribal Affairs

(iii) (a) Tourism (b) Culture [to be taken up together]

(iv) Health and Family Welfare

3. Guillotining of outstanding Demands for Grants in respect of Union Budget for 2023-24.

4. Consideration and passing of the Finance Bill, 2023.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम-377 के तहत मेंबर्स अपने महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहते हैं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए और सभा की कार्यवाही शांति से चलने दीजिए।

… (व्यवधान)

14.15 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

(i) Need to sanction a sports training centre in Satna Parliamentary Constituency

श्री गणेश सिंह (सतना): दुनिया के खेल जगत में भारत के खिलाड़ी बहुत तेजगति से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के खेलो इंडिया खेलो का जो कार्यक्रम है, उसके अन्तर्गत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलो के लिये तैयार किया जा रहा है। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र सतना में सबसे पहले विभिन्न खेलों की सांसद ट्राफी का आयोजन वर्ष 2011 से लगातार कर रहा हूँ। मेरा शहर सतना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में है। साथ ही 35 करोड़ रूपये की लागत से मल्टी स्पोर्ट्स काम्पलेक्स बन रहा है। दादा सुखेन्द्र स्टेडियम का 8 करोड़ रूपये की लागत से उसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। धवारी क्रिकेट स्टेडियम को भी 6 करोड़ रूपये की लागत से नई सुविधा के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगातार मेरी मांग सतना में साई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की है, लेकिन आज तक नहीं मिला। खेलो इंडिया खेलो के तहत बैडमिन्टन का प्रशिक्षण मिला है। लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीवॉल, कबड्डी जैसे कई ओलम्पिक गेम्स हैं, जो बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ खेले जाते हैं। इनमें से किसी खेल का प्रशिक्षण केन्द्र सतना में दिया जाए।

* Treated as laid on the Table

(ii) Need to provide social security benefits to beedi workers in Kaushambi Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh and also construct an ESIC Hospital in the area

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): मैं सरकार का ध्यान बीड़ी मजदूरों की स्वास्थ्य चिंता की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। कौशाम्बी, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) में लाखों की संख्या में बीड़ी मजदूर हैं, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में 45 लाख बीड़ी श्रमिक हैं। इनमें से अधिकांश घर से काम करने वाली महिला श्रमिक हैं। बीड़ी उधयोग से सरकार को करोड़ों रूपये का राजस्व प्राप्त होता है इसलिए बीड़ी श्रमिकों की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। इन श्रमिकों को सामूहिक बीमा योजना में स्वाभाविक दुर्घटना में मृत्यु लाभ की राशि को दोगुना किया जाए। जिन श्रमिकों की आयु 60 वर्ष से अधिक है, उन्हें पेंशन दिया जाना चाहिए। बीड़ी मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अनुदान और स्कोलरशिप कम्प्लसरी कर दिया जाना चाहिए। कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में लाखों की संख्या में बीड़ी मजदूर हैं, उनके लिए अलग से कम से कम 10 या 20 कमरों का अस्पताल बने, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और पेथोलोजी की व्यवस्था हो। प्रतापगढ़ की कुंडा तहसील मे ESIC अस्पताल के निर्माण की आवश्यकता है जिससे इनलोगों को समय पर इलाज मिल सके। इसलिए यहाँ पर अति शीघ्र ESIC अस्पताल का निर्माण करवाया जाए।

(iii) Need to make transportation of coal in Jharkhand in covered trucks and rail wagons compulsory

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): झारखंड के 24 में से 13 जिले कोयले के भंडार से समृद्ध हैं। हालांकि, अनियंत्रित खनन, कोयले के जलने और विशेष रूप से खानों से बिजली संयंत्रों तक खुले परिवहन के कारण, वायु प्रदूषण भी राज्य में गंभीर होता जा रहा है। यह राज्य में पर्यावरणीय संकट और सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरों का कारण बन रहा है।

खुले ट्रकों और रेलवे वैगनों में कोयले की ढुलाई झारखंड में एक आम दृश्य है, और परिवहन के दौरान निकलने वाली कोयले की धूल और अन्य प्रदूषकों से इन मार्गों के आसपास रहने वाले लोगों में श्वसन संबंधी समस्याएं, फेफड़ों के रोग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। इसके अलावा, कोयले के खुले परिवहन से सड़कों, इमारतों, फसलों और जल निकायों पर कोयले की धूल का जमाव हो रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधन दूषित हो रहे हैं। यह जानवरों में भी स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि झारखंड में कोयले के परिवहन के लिए ढके हुए ट्रकों और वैगनों के उपयोग को अनिवार्य करना चाहिए और उल्लंघन करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाना चाहिए। मैं सरकार से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने का भी अनुरोध करता हूं।

(iv) Need to make treatment of cancer and other serious diseases affordable for lower and middle class

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): कैंसर और गंभीर रोगो के मरीजों का इलाज और दवाइया निशु:ल्क उपलब्ध कराने के संदर्भ में असम और नार्थ ईस्ट सहित देश में कैंसर रोग आज एक महामारी का रूप ले रहा है। विश्व स्वस्थ्य संगठन के मुताबित वर्तमान में दुनिया के 20 फीसदी कैंसर मरीज भारत में है। इस बीमारी के कारण हर साल 75000 लोगों की मौत होती है। हजारो लाखो परिवार महंगी इलाज के कारण आर्थिक मानसिक रूप से तबाह हो जाता है। असम सहित उतर पूर्वोतर क्षेत्र मे कैसर के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। एक आकडे के अनुसार पिछले 10 वर्ष में 210 प्रतिशत कैंसर मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ के मरीजों को कैंसर सहित गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वेल्लोर तथा देश के कोने कोने में भटकना पडता है। रोगी और उसके परिवार के लिए यह बहुत पीडादायक होता है। मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार को कैंसर सहित अन्य गंभीर रोगो का सही इलाज हेतु तथा महंगे खर्चे से राहत देने के लिए तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए ।

(v) Need to construct by-pass roads at Kurukshetra Ladwa and Radaur in Haryana

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): मैं सरकार का ध्यान ध्यान पटियाला से हरिद्वार जाने वाली सड़क की ओर दिलाना चाहता हूँ जो देश के चार राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड को आपस में जोड़ती है। इस सड़क की कुल लम्बाई 223 किलोमीटर है जिसका अहम् हिस्सा मेरी लोकसभा के 5 बड़े शहरों पेहोवा, कुरुक्षेत्र, लाडवा, रादौर व यमुना नगर से होकर गुजरता है और देश के चार राष्ट्रीय राजमार्गी 152-D, 152, 44 व 344 को विभिन्न जगहों पर क्रॉस करता है। इस क्षेत्र के अधिकत्तर लोग किसान है और उनके उत्पाद के लिए यहाँ 3 चीनी की मीले, 5 अनाज मंडी, 5 सब्जी मंडी व हरियाणा की सबसे बड़ी लक्कड़ मंडी है। इसी मार्ग द्वारा व्यापारी भाई अपना माल देश के दूसरे भागों में भेजते हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, यमुना नगर, व पेहोवा जाने माने धार्मिक तीर्थ स्थल है जहाँ पर साल भर लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है। इन्ही कारणों से यह मार्ग बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है। कुरुक्षेत्र, लाडवा और रादौर में तो हर समय ट्रैफिक जाम लगा रहता है जिस कारण आये दिन यहाँ पर जानलेवा दुर्घटनाये होती रहती है। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन शहरों के लिए रिंग रोड का निर्माण बहुत जरुरी है। हरियाणा के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयत्नों से इस सड़क को भारत वर्ण माला-2 में शामिल कर लिया गया है लेकिन इसके तहत इस कार्य के शुरू होने में अभी काफी वक्त लगेगा।

मैं सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र, लाडवा व रादौर में इस सड़क पर रिंग रोड जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि इस क्षेत्र के लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके।

(vi) Need to increase the honorarium of cooks employed in government schools

श्री छेदी पासवान (सासाराम): देश के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रसोइयाँ सह सहायक कुशल मजदूर की श्रेणी में है जिन्हे मात्र 1000 (एक हजार) रू० मासिक मजदूरी के रूप में दिया जाता है, जो वर्तमान में महंगाई के दौर में बहुत ही कम है, जिसे बढ़ाने की अति आवश्यकता है।

अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि बिहार राज्य के रोहतास एवं कैमूर जिला सहित देश के सभी विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की श्रेणी के रूप में रखते हुए इनके मानदेय की मासिक राशि की बढ़ोतरी करने हेतु संबंधित मंत्रालय को निदेर्शित करने की कृपा की जाए।

(vii) Regarding doubling of Maksi-Ruthiyai Railway section in Madhya Pradesh

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): संसदीय क्षेत्र राजगढ़ कृषि प्रधान क्षेत्र हैं एवं यह आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य में स्थित है। यहाँ से इन्दौर, मुंबई, गुजरात, भोपाल, नागपुर, आगरा, दिल्ली का सीधा सड़क संपर्क होने के बाद भी यह क्षेत्र आजादी के 70 सालों से विकास के लिये आशान्वित रहा है। मोदी सरकार द्वारा आशान्वित से आकांक्षी स्वरूप दिया जाकर विगत वर्षों में सभी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण का संकल्प सिद्ध कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है।

सम्पूर्ण लोकसभा क्षेत्र मे पश्चिम-मध्य रेलवे के एकमात्र रेलखण्ड मक्सी- रुठीयाई रेलमार्ग को माननीय प्रधानमंत्री जी व रेलमंत्री द्वारा विद्युतीकरण की ऐतिहासिक सौगात दी गई है. इसी क्रम में रुठियाई से मक्सी रेलखंड का दोहरीकरण सर्वे आदि की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होकर स्वीकृति लिये लंबित है, जिसकी स्वीकृति होने से सारंगपुर, ब्यावरा, पचोर, नरसिंहगढ़, चांचौड़ा, कुम्भराज, रुठियाई सहित समस्त राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लाखों लोगों एवं व्यापारी वर्ग को दिल्ली से मुंबई तक की सीधी सस्ती व कम दूरी की अनेक रेल सेवाओं का लाभ मिल सकेगा एवं रेलवे को भी मालढुलाई के लिए फास्ट ट्रैक मिल सकेगा जिससे राजगढ़ के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

अतः राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जन आकांक्षाओं के अनुरूप माननीय रेलमंत्री जी से मक्सी-रूठीयाई रेलखण्ड के दोहरीकरण की स्वीकृति हेतु अनुरोध करता हूँ।

(viii) Regarding construction of ring road in Siddharthanagar district, Uttar Pradesh

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज अंतर्गत सिद्धार्थनगर की ओर दिलाना चाहता हूं। सिद्धार्थनगर भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जहां उन्होंने अपने जीवन के पहले 29 वर्ष बिताए थे। सिद्धार्थनगर को नीति आयोग द्वारा लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर 112 आकांक्षी जिलों के रूप में भी पहचाना की गई। सिद्धार्थनगर के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सिद्धार्थनगर को एक आकांक्षी जिले के रूप में पहचानने और जिले में विकास और समृद्धि लाने के लिए उनके राष्ट्रीय प्रयासों और दृष्टि और नेतृत्व प्रदान करने के लिए बेहद सराहना और आभारी हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 तक भारत की सड़कों और राजमार्गों को अमेरिका की तरह बनाने का संकल्प जल्द ही पूरा होगा। मैं अनुरोध करता हूं कि सिद्धार्थनगर जिले में सिद्धार्थनगर के बाहरी इलाके में रिंग रोड बनाने की आवश्यकता है। रिंग रोड से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी और पर्यटकों को सुगमता से यात्रा करने में मदद मिलेगी। रिंग रोड सिद्धार्थनगर के आसपास के जिलों को जोड़ने में भी मदद करेगी और यात्रियों के लिए यात्रा के समय को कम करेगा।

(ix) Need to establish a medical college in Aurangabad, Bihar

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): शिक्षा देश के विकास और प्रगति की रीढ़ है और चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन ऐसे बेहतर तरीकों में एक है । हाल में ही नीति आयोग ने औरंगाबाद में एक मेडिकल कॉलेज के स्थापना की सिफ़ारिश की हैं । औरंगाबाद वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित और आकांक्षात्मक जिला हैI NH-19 एवं NH-98 पर स्थित औरंगाबाद बिहार के रोहतास, अरवल, गया, और झारखण्ड के पलामू, चतरा ज़िलों से जुड़ा हैं। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज खुलने से एक बड़ी आबादी को लाभ होगा । देश और विशेष रूप से बिहार में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष हज़ारों छात्र मेडिकल की पढ़ाई हेतु दूसरे राज्यों में जाते हैं। यह मेडिकल कॉलेज बिहार और झारखण्ड के युवाओं के लिए उपयोगी होगा। उक्त मेडिकल कॉलेज के लिए उपयुक्त भूखंड की कमी के कारण मैंने अपनी खुद की 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया हैं। केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय बजट से कॉलेज का निर्माण कराये।

(x) Need to include blocks in Latur district of Maharasthra under the Aspirational Blocks Programme

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे (लातूर): महाराष्ट्र का लातूर जिला विगत तीन दशकों से प्रकृति की मार झेल रहा है। 1993 का भीषण भूकम्प, तीन दशकों का भीषण सूखा तथा पिछले दो सालों से अति वृष्टि के कारण यहां की खेती पूरी तरह बरबाद हो गई है, पानी की कमी के कारण यहां से सारे उद्योग पलायन कर चुके हैं एवं उद्योगों के अभाव में यहां भारी बेरोजगारी फैली हुई है। पिछले दो सालों की अति-वृष्टि के कारण यहां के पहले से ही बरबाद किसानों की खड़ी फसलें बरबाद हो गई, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों मवेशी बाढ़ में बह गए तथा हजारों मकान अति-वृष्टि के कारण पूरी तरह टूट गए अथवा बाढ़ में बह गए हैं। अब इस जिले की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बरबाद हो गई है।

अब यह महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में गिना जाता है। इस जिले को प्राथमिकता के आधार पर पुनर्विकसित किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक प्रोग्राम के तहत अब देश भर में 500 ब्लॉकों को चयन करने का फैसला किया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। मेरा लातूर जिला इस दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि लातूर जिले के अहमदपुर, चाकूर, देवनी, जलकोट, उडगीर व निलंगा ब्लॉकों को इस योजना के तहत विकास हेतु शामिल करके वहां विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत ढांचे का विकास किया जाए एवं इसके त्वरित विकास हेतु विशेष फंड उपलब्ध करवाकर इस जिले के चहुंमुखी विकास हेतु कदम उठाए जाएं ताकि यहां से पलायन कर चुके उद्योग धंधे वापस लौटें, नौजवानों को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हों, खेती को पुनर्जीवित किया जाए और परिणामस्वरूप यहां की अर्थव्यवस्था पुन: पटरी पर लौट सके।

(xi) Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मैं संविधान की आठवीं अनुसूची में करोडो राजस्थानियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को सर्वैधानिक मान्यता देने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

"हेलो मायड़ भाषा रो" अभियान के तहत अनेक वर्षो से सार्वजनिक मंचो पर यह मांग उठाई जा रही है। राजस्थानी भाषा बहुत प्राचीन है और इसका अपना एक अलग ही समृद्ध इतिहास और साहित्य है जिसे देश व विदेश में10 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। इस भाषा को देश प्रदेश की कई साहित्यिक अकादमियों ने मान्यता दी हैऔर कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी यह शामिल है।राजस्थानी फ़िल्में बहुत लोकप्रिय है और इस भाषा की मिठास और लोकगीत, भजन, धारावाहिक आदि भी जनप्रिय है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि "एक बच्चा अपनी मातृभाषा में सबसे ज्यादा सीखता है"। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान विधान सभा द्वारा वर्ष 2003 में सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर संसद को भेजा गया था और तत्कालीन गृहमंत्री ने 17 दिसंबर, 2006 को राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए आश्वासन दिया था। राजस्थानी भाषा की लोकप्रियता को देखते हुए इसे आठवीं अनुसूची में शामिल करने से देश के सबसे बड़े भूभाग वाले प्रान्त राजस्थान के करोड़ो लोगो की भावानाओ को उचित सम्मान मिलेगा और राजभाषा हिंदी के विकास और संरक्षण में मदद मिलेगी।

(xii) Need to establish a National Centre of Excellence for sports persons in Jaipur, Rajasthan

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): राजस्थान खेल एवं खिलाडियों का प्रदेश है। राजस्थान राज्य ने देश को कई अन्तराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी दिये है । राजस्थान के कई प्रसिद्व खिलाडियों ने ओलंपिक जैसी सर्वोच्च स्पर्धाओं में कप्तानी भी की है।

मेरा संसदीय क्षेत्र जयपुर राजस्थान की राजधानी है। वहा खेल एवं खिलाडियों के विकास के लिए नेशनल सैंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान में जयपुर में केवल एक ही साई (स्पोर्टस अथोरिटी ऑफ इंडिया) का ट्रेनिंग सेंटर है। जहां पर केवल 5 ही खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

जयपुर में नेशनल सैंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलने से खिलाडियों को अच्छी सुविधाओं के साथ बेहतर प्रशिक्षण भी मिलेगा, जिससे वे राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर और भी अच्छा प्रदर्शन कर विश्व में भारत का नाम रोशन कर सकेगें।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र जयपुर में अविलम्ब नेशनल सैंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलवाये जाने की कृपा करें।

(xiii) Need to check the effects of erosion on coal depot at Gourhati Ghat along Railway Goods Warehouse

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Coal Depot at Gourhati Ghat under Chapdani Municipality, adjacent to my Hooghly Lok Sabha constituency, adjacent to the Ganga along the Railway Goods Warehouse is prone to erosion. As a result, houses, roads and ghats of the Ganges in the area are going to sink into the river. In that situation, I would like to request the Hon'ble Union Minister of Jal Shakti to pay special attention to the issue on priority basis so that the residents of the area will be saved from this erosion.

(xiv) Regarding refund of money to people who invested in Pearls Agrotech Corporation Limited

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): PACL (पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लि.) में करोड़ो निवेशको (5 करोड़ 85 लाख निवेशक) का भुगतान अटक गया है। यह गरीब, एवं किसान व मजदूर वर्ग से आते है । सरकार की मंशा चूंकि निवेशको को भुगतान दिलाने की है इसलिए मैं यह आग्रह कर रहा हूँ कि वर्तमान में जो भुगतान राशि की सीमा है वो 17 हजार रूपये है वो भी सभी निवेशको को नही मिल रहा है। जिनके दस्तावेज जमा हुये है उसमे से बीस प्रतिशत निवेशको को ही भुगतान मिला है। अन्य को भुगतान जल्दी मिले इस हेतु कार्यवाही का आग्रह करता हूँ इसके साथ ही कम्पनी ने 2014 - 2015 में बड़ी संख्या में निवेशको के दस्तावेज अपने पास जमा कर लिये उनका भुगतान आज दिनांक तक नही किया गया है एवं दस्तावेज भी कम्पनी के पास ही है, यह गंभीर विषय है। सरकार से इस पर संज्ञान लेने का आग्रह करता हूँ वर्तमान में जो भुगतान की सीमा है उसे तेजी से बढाई जावे (एक लाख तक) ताकि अधिकांश लोगो को भुगतान मिल सके क्योकि निवेशको का अधिक पैसा जमा है।

(xv) Regarding opening of Land Customs Station in Kuliang village, Jaintia Hills

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Opening Land Custom Stations through a river has been a demand by the people of the villages to facilitate more import and export of their goods and services. People from Meghalaya mainly earn their living by indulging in mining activities. The export of coal and limestones feed thousands of people. Kuliang village is located in Jaintia Hills. It is the most suitable place to open land customs station through the river Lukha which can be best used to export limestone and coal, including other items between India and Bangladesh. Therefore, I demand the opening of Land Custom station in Kuliang village through river Lukha. This project should be initiated and opened as soon as possible. Additionally, all facilities like electricity, and law and order-related issues should be organized immediately. This development will pave the way for millions of poor people involved in mining activities. It will be a blessing for the people of Jaintia Hills in particular and the overall development of the States in the North-East.

(xvi) Regarding Kishanganj – Jalalgarh Raiway line project

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): I want to draw the attention of the Hon'ble Ministry of Railways towards an issue related to railways in my Kishanganj Parliamentary constituency. Due to absence of a railway line between Kishanganj and Jalalgarh, people are facing huge inconvenience. Thus, it would be a priority project for development. This project will benefit a large number of people in Seemanchal region and parts of West Bengal. The request for the construction of the same has been made for many years now and yet no progress has been made.

Therefore, I request the Hon'ble Minister of Railways to look into the Kishanganj Jalalgarh project and help the people of one of the most backward regions of the country to grow socially and economically. Therefore, it is further requested that immediate attention may be paid to sanction the construction of Kishanganj-Jalalgarh railway line starting this financial year 2023-2024.

(xvii) Need to address Solid Waste Management treatment in the country

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): A pungent smell of burnt plastic is haunting Kerala's commercial capital Kochi even a fortnight after the Brahmapuram Waste Management Plant under the City Corporation caught fire. The garbage mounds pose severe challenges to Solid Waste Management in the State. The state of the rest of India too is not satisfactory. Swachh Bharat Abhiyan, a flagship programme of the Government of India aimed at freeing the country from open defecation was launched in 2019. But the Mission does not address the need to rework the underground sewage system and the eradication of manual scavenging and the rehabilitation of manual scavengers. According to the Multiple Indicator Survey by the Ministry of Statistics and Program Implementation, 21.3% of rural households had no access to a toilet-whether a latrine exclusively for the household, a common-use facility for the building, or a community toilet. In 2019, Hon'ble Prime Minister declared rural India as open-defacation free during a Swachh Bharat Diwas program. Hence, I request the Government of India to address the menace of solid waste in an effective way using modern technology. Manual scavenging, which is highly prevalent in India, must be eradicated and workers must be rehabilitated.

(xviii) Regarding setting up of a Defence Research Centre in Dharmapuri Parliamentary Constituency

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): I would like to draw the attention of the Government regarding the initiative taken by the DRDO for setting up Defence Research Centre in my Dharmapuri Parliamentary Constituency which was proposed during 2010 at Dharmapuri, Tamil Nadu. The State Government and District Administration has, for the said purpose, identified the land at Nekkundhi village, Dharmapuri District. The DRDO officials had also inspected the said site. Nevertheless, the proposed project has not yet commenced. Dharmapuri being an industrially backward area, the role of this project as an employment generator and help in aiding the district to industrially rich area becomes important. As estimated, this DRDO research centre will generate employment for 15,000 people and will act as a push to 'Make in India' initiative. I would, therefore, urge upon the Hon. Minister of Defence to direct the DRDO to forthwith commence the work towards expediting the proposed project and commence the research centre for betterment of Dharmapuri District.

(xix) Regarding effective implementation of Samagra Shiksha Scheme to tackle problems of school dropouts

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): I am raising a very serious concern i.e. children dropping out of school which needs to be addressed. The Ministry of Education has reported that 9.30 lakh elementary-level children are not enrolled in schools in India, with more boys than girls being out of school. A total of 9,30,531 elementary school-aged children are out of school in India, including 5.02 lakh boys and 4.27 lakh girls. Uttar Pradesh has the highest number of out-of-school children at 3.96 lakh, followed by Bihar at 1.34 lakh and Gujarat at 1.06 lakh. This huge number of dropouts indicated the gaps in implementation of the Samagra Shiksha Scheme thereby endangering the future of children in our country. This makes children vulnerable to labour and trafficking. I request the Hon'ble Minister of Education to take effective steps for better implementation of this scheme by identifying school dropouts and mainstream them in formal education.

(xx) Regarding proper implementation of ban on single use plastic

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): As per Ministry of Environment, Forest and Climate Change notification No. G.S.R.57(E) dated 12.08.21, from July 1, 2022, India banned single-use plastic (SUPs) items that have low utility but are frequently littered around, such as plastic, straws, cutlery and cigarette packets. However, even after several months since the ban came into effect, little had moved on the ground. Several banned plastic items are still seen in circulation in marketplaces, eateries and other public places. Vendors have been reported saying that there has neither been any punitive action nor any advisory to stop using these products and that these products are available wholesale as usual. The continuing usage of these plastic items is contributing to 3.5 million tonnes of plastic generated in India annually, a majority of which stays uncollected resulting in pollution of our ecosystem. Thus, effective implementation of the announced ban is required with environment-friendly alternatives to these products. In this regard, I urge upon the Government to take the appropriate steps in line with the ban announced by our Hon'ble Prime Minister as well as to look into issuing notices to the handful of Cigarette manufacturers making and/or selling in India not to use any plastic material in the packaging in any form and to shift to environment-friendly alternatives.

(xxi) Regarding pollution in Mumbai Metropolitan Region

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Mumbai Metropolitan Region has been facing worst pollution crisis. Mumbai is one of the high-risk cities facing the worst impacts of climate change. There is a need to re-think the ways in which development is carried out by Central and State Governments in the climate change scenario in Mumbai. Coordinated efforts of Central as well as State Governments for data monitoring and management will help us make city clean. It is found that more than 50 percent of the city pollution is due to the sudden surge of construction activities on State and Central Government lands, increased vehicular emissions and changes in wind speed this winter. Central Government needs to intervene and take immediate measure to prevent further deterioration. Holistic approach is needed to tackle the pollution crisis across Mumbai Metropolitan Region. If all Government agencies coordinate and work towards this common cause, it will address Mumbai's rising pollution crisis and will make the city once again a better place to live in. Like the NCR, Government must also form a Commission for Air Quality Management to monitor pollution levels and also to formulate graded responses action plans to tackle pollution levels in Mumbai.

(xxii) Need to include Supaul district in the Aspirational Districts Programme

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल, बिहार का सीमावर्ती बाढ़ग्रस्त तथा अतिपिछड़ा जिला है। सुपौल की जनसँख्या 26 लाख के करीब है तथा सुपौल की जनता की आय का मुख्य स्त्रोत कृषि है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण शिक्षा, रोजगार, यातायात परिवहन तथा मरीजों के इलाज के लिए अच्छे अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। ऐसी तमाम सुविधाओं को प्रदान करने के लिए मानवीय आधार पर जनहित में सुपौल जिला को नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला में शामिल करने की कृपा की जाए।

(xxiii) Regarding issues pertaining to management of Covid in Odisha

KUMARI CHANDRANI MURMU (KEONJHAR): Public hearing plays an important part towards development of local areas where industries and mines are located or about to be set up to address environmental issue. People have their own concerns especially when business and environmental become the point of contention.

During the Covid period, norms were laid down for conducting Public Hearing across the country. There were restrictions on the number of people who attended the hearings. Now the point is whether the norms were followed in Odisha and elsewhere in the country. Did the District Administration along with the Pollution Control Board of Odisha maintain records of the persons who attended the proceedings and whether Covid test certificate was taken from the public. If not, then, there is a possibility of spread of Covid after such hearings. Some doubts have come up from various sections that norms were not followed during the hearings.

Therefore, to negate all suspicions, I urge upon the Hon'ble Minister for Environment, Forests and Climate Change to share the list of those attendees in Public Hearings along with the negative Covid test certificate so that clarity be brought and all speculation be put to rest. I would also like the norms to be shared.

(xxiv) Need to establish a Central Agriculture University in Azamgarh, Uttar Pradesh and start operation of flights from the Manduri Airport

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): जनपद आजमगढ़ मुख्यतः कृषि व्यवसाय पर आधारित जिला है, यहां कृषि क्षेत्र की संभावनाएं व्यापक हैं जिसमें उद्यमशील कृषि आधारित फसलो के लिए बहुत से नए रास्ते खोजे जा सकते हैं। जिसमें उद्यमशील फसलों के संवर्धन संरक्षण एवं प्रसंस्करण के माध्यम से मशरूम, सब्जियां, मोटे अनाज, गन्ना, मिर्चा की खेती, सनई बागवानी की उद्यमशील खेती का उन्नयन एवं आजमगढ़, बुढ़नपुर, रानी की सराय, ठेकमा,निजामाबाद तहसील के किसानों का संरक्षण हो सके एवं पूर्वांचल में कृषि विकास को ध्यान में रखते हुए आजमगढ़ में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक रूप में हो, इस पर सरकार को आजमगढ़ को केंद्र मानकर इसको अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए तभी सुल्तानपुर ,अंबेडकरनगर, मऊ ,बलिया, देवरिया, गाजीपुर, जौनपुर यह सभी ग्रामीण इलाके इन विश्वविद्यालयों से लाभान्वित हो सकेंगे।

अभी लालगंज में कृषि विज्ञान केंद्र खुला है और कोटवा में कृषि विज्ञान केंद्र है और जनपद में कृषि महाविद्यालय भी हैं इसी महाविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाए और साथ ही मंडूरी हवाई अड्डे को शीघ्र संचालित किया जाए। उद्योग आधारित कृषि खेती को बढ़ावा देने के विशेष क्षेत्र को घोषित किया जाए और कमर्शियल क्रॉप्स जैसे मशरूम, सनई, मिर्चा , गन्ना,मोटे अनाज बागवानी को बढ़ावा दिया जा सके।

(xxv) Regarding four laning of NH between Khagaria and Purnia and expeditious construction of NH No. 107 in Bihar

चौधरी महबूब अली कैसर (खगड़िया): मैं भारत सरकार का ध्यान खगड़िया लोकसभा के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 से जुड़े अति महत्वपूर्ण समस्या की और आकर्षित करना चाहता हूं। यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम को जोड़ने वाला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस राज्य मार्ग को बिहार के बेगूसराय जिला से खगड़िया तक फोरलेन किया जा रहा है, जो कि लगभग पूर्ण होने वाला है। परंतु खगड़िया से पूर्णिया तक फोरलेन नहीं होने के कारण आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। खगड़िया-पूर्णिया खंड पर यातायात का भार अधिक हो गया है जिससे आए दिन सड़क दुर्घटना की संख्या में बढ़ोतरी के साथ-साथ यातायात जाम की समस्या भी बनी रहती है। यदि खगड़िया से पूर्णिया तक फोर लेन का निर्माण हो जाता है तो इन सभी समस्या से निजात मिल जाता। महेशखूंट बेलदुर सिमरी बख्तियार होते हुए राजमार्ग संख्या 107 का निर्माण हो रहा है जिसकी गति काफी धीमी है। स्थानीय जनता द्वारा गुणवत्ता पर अक्सर सवाल उठाया जाता है। अतः भारत सरकार से मांग है कि खगडिया से पूर्णिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर लेन बनाया जाए और राजमार्ग संख्या 107 के कार्य को जल्दी करते हुए गुणवत्ता की भी जांच अपने स्तर से कराई जाए।

(xxvi) Regarding re-modelling of Guntur yard

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): People of Guntur are grateful for sanction of work for re-modelling Guntur Yard with an estimated Rs. 125 crore, to avoid the existing bottlenecks to deal with traffic by Guntur Yard from all four sides – Secunderabad, Nandyal, Vijayawada and Tenali. It helps to improve/create infrastructure for handling present and future traffic without detaining trains and birthing of 24 coach passenger trains on all platforms of Station. Railway stations are growth points and Railways have taken conscious decision for improving Guntur Railway station and also selecting Mangalagiri Railway station for development for providing services to passengers and pilgrims of Lord Lakshmi Narasimha. People of Guntur are, indeed, grateful that these are being taken up under Atmanirbhar Station Scheme. I appeal to the Hon'ble Minister of Railways to complete the above works in fixed timeframe, so that facilities can be availed by people of Guntur and its surrounding areas.

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 21 मार्च, 2023 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

14.16 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 21, 2023/ Phalguna 30, 1944 (Saka)

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)